पत्रांकः 4 / **xxvii**(6) / 2013

प्रेषक,

प्रमुख सचिव
वित्त, उत्तराखण्ड,
शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग– 6 देहरादून दिनांकः 2 जनवरी, 2013

विषय : राज्य सरकार की प्राप्तियों को कोषागार पोर्टल पर ई–चालान के माध्यम से जमा किये जाने की प्रकिया को लागू किया जाना।

महोदय,

वर्तमान में सरकार की समस्त प्राप्तियों को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड पांच भाग 2 के प्रस्तर 417 एवं 478 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान प्रपत्र सख्या 43ए(2) के माध्यम से बैंक मे जमा करके राज्य सरकार के खाते में हस्तान्तरित किये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार वाणिज्य कर विभाग में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 19(एक)(ई)प्राविधानित नियमों के अधीन कर संग्रह की कार्यवाही की जा रही है।

2– राज्य में वर्तमान प्रकिया में सभी प्रकार के सरकारी प्राप्तियों को विभिन्न जमाकर्ताओं द्वारा निर्धारित चालान के माध्यम से बैंक में नकद जमा किया जा रहा है। बैंक द्वारा चालान के माध्यम से जमा की गयी धनराशि को चालान में प्रदर्शित लेखा शीर्षक के सापेक्ष राज्य सरकार के खाते में हस्तान्तरित किया जाता है। जमाकर्ता द्वारा बैंक में जमा किये गये चालानों एवं जमा धनराशि का विवरण, बैंक द्वारा दैनिक रूप से कोषागार को बैंक स्कॉल के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। उक्त सम्पूर्ण प्रकिया मैनुअल होने के कारण जहॉ सरकार के खाते में वास्तविक रूप से धनराशि के हस्तान्तरित होने में विलम्ब की सम्भावना बनी रहती है वहीं चालान में गलत / त्रुटिपूर्ण सूचना के भरे होने पर चालान की धनराशि कोषागार स्तर पर वास्तविक लेखा शीर्षक से भिन्न लेखा शीर्षक में पुस्तांकित हो जाती है, जिसके कारण मिलान (Reconciliation) की प्रकिया अत्यधिक जटिल हो जाती है।

3– अतः समस्त प्राप्तियो को ई–चालान के माध्यम से जमा कराये जाने की इलेक्ट्रानिक पद्वति को अपनाया जाना श्रेयस्कर एवं पारदर्शी है। इसके दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों को कोषागार पोर्टल से ई–चालान के माध्यम से जमा किये जाने की, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। राज्य मे इसके लिये आवश्यक तकनीकी आधारभूत सुविधायें (Infrastructural Facilities) पहले से ही विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकर्स एव राज्य के ऐसे विभाग जिनका अपना पृथक वेबसाईट है, अपनी वेबसाईटों को कोषागार पोर्टल से एकीकरण (Integration) की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर लें।

4– राज्य में इस प्रकिया को लागू किये जाने के लिये अपनायी जाने वाली प्रकिया एवं सम्बन्धित स्तरों के कर्त्तव्य / दायित्व निम्नानुसार होगें:–

राज्य सरकार की प्राप्तियों को कोषागार पोर्टल से ई–चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु प्रकिया :–

4.1 जमाकर्ता ई–चालान से धनराशि जमा करने हेतु कोषागार के पोर्टल ekosh.uk.gov.in पर जाकर प्रथम बार अपना रजिस्ट्रेशन कर user ID एवं पासवर्ड प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार कर्मचारी एवं पेंशनर अपनी वर्तमान login ID एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

4.2 जमाकर्ता अपने रजिस्टर्ड user ID एवं पासवर्ड से पोर्टल में login कर अपना यूजर प्रोफाइल अपडेट कर ई–मेल ID एवं मोबाईल नम्बर फीड करेंगे ताकि उनके प्रत्येक ट्रॉन्जेक्शन की सूचना sms alert एवं ई–मेल पर उपलब्ध करायी जा सके।

4.3 जमाकर्ता पोर्टल पर login कर शासकीय धनराशि जमा करने हेतु सम्बन्धित विभाग का चयन करेंगे। विभाग का चयन करने पर उस विभाग की सभी सेवाऐं स्कीन पर प्रदर्शित होंगी। इच्छित सेवाओं का एक–एक कर चयन करते हुए भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। भुगतानित धनराशि अंकित करने के पश्चात रिमार्क कालम में वांछित सूचना अंकित की जायेगी।

4.4 यदि जमाकर्ता को ई–चालान से जमा धनराशि के सापेक्ष कोई सेवा,सुविधा या स्टाम्प जारी किया जाना है, तो जमाकर्ता द्वारा ऐसी सेवा,सुविधा या स्टाम्प प्राप्त कराने वाले कोषागार/उपकोषागार के कार्यालय का नाम भी इंगित करना होगा।

4.5 जमाकर्ता द्वारा भुगतान का विवरण अंकित करते ही पेमेंट गेटवे के आपशन उपलब्ध होंगे। इच्छित बैंक का पेमेंट गेटवे का चयन करते ही सिस्टम बैंक की साईट पर चला जाएगा।

4.6 जमाकर्ता बैंक साईट पर अपने नेट बैंकिंग user ID एवं पासवर्ड का प्रयोग करके भुगतान करेगा।

4.7 बैंक से सफलतापूर्वक भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न होने पर पुनः सिस्टम कोषागार पोर्टल पर वापस आ जाएगा। पोर्टल से जमाकर्ता चालान का प्रिन्ट आउट ले सकता है।

4.8 यदि बैंक साइट से वापस आते समय इन्टरनेट कनेक्शन विच्छेदित हो जाए तो पोर्टल पर उक्त चालान का status Initiated दिखाया जाएगा, जो अगले कार्यदिवस में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा स्काल अपलोड करते समय successful हो जायेगा। Initiated status वाले चालानों का प्रिन्ट आउट स्कॉल अपलोड होने के पश्चात ही निकाला जा सकेगा।

4.9 ऐसे ट्रान्जेक्शन जिनमें बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं होगा, Failed status वाले होगें। ऐसे भुगतानों हेतु पेमेंट की प्रकिया पुनः करनी होगी।

4.10 जमाकर्ता द्वारा किये गए विभिन्न ई–जमा का पूर्ण विवरण ई–चालान History पर उपलब्ध होगा। जिसके द्वारा जमाकर्ता भविष्य में कभी भी पुराने चालानों का विवरण प्राप्त कर सकता है।

ई–चालान के माध्यम से भुगतान की प्रकिया में सम्बन्धित स्तरों के दायित्व निम्नवत् होंगे :–

1. **ई–चालान हेतु अधिकृत बैंकर्स**

ई–चालान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत बैंको की सूची

1.1 बैंक आफ बडौदा
1.2 पंजाब नेशनल बैंक
1.3 स्टेट बैंक आफ इण्डिया
1.4 यूको बैंक
1.5 ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स
1.6 इलाहाबाद बैंक

1.7 बैंक आफ इण्डिया
1.8 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
1.9 केनरा बैंक
1.10 सिन्डीकेट बैंक
1.11 यूनियन बैंक आफ इण्डिया
1.12 एक्सिस बैंक
1.13 आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक
1.14 एच0डी0एफ0सी बैंक
1.15 आई0डी0बी0आई0 बैंक
1.16 नैनीताल बैंक
1.17 कोर्पोरेशन बैंक
1.18 स्टेट बैंक आफ पटियाला
1.19 देना बैंक
1.20 इण्डियन ओवरसीस बैंक
1.21 पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
1.22 आन्ध्रा बैंक
1.23 विजया बैंक
1.24 यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया

- सभी बैंक ई–चालान हेतु अपने पोर्टल का इन्टिग्रेशन कोषागार के पोर्टल www.ekosh.uk.gov.in से करेंगे।
- बैंकर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई–चालान की प्रकिया मे बैंक की वेबसाइट कोषागार पोर्टल से सही प्रकार से लिंक है और कोषागार पोर्टल से आन लाइन डेटा प्राप्त करने एवं कोषागार पोर्टल में आन लाइन डेटा रिवर्ट करने में सक्षम है।
- सभी बैंक प्रतिदिन के ट्रॉन्जेक्शन का स्कॉल एवं संग्रहित धनराशि भारतीय रिजर्ब बैंक के निर्देशानुसार सीधे भारतीय रिजर्ब बैंक को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रत्येक बैंक ई–चालान हेतु देहरादून स्थित अपनी किसी शाखा को Focal Point/Nodal Branch घोषित करेगा। उक्त बैंक शाखा अपने सभी ब्रान्चों ,साईबर ट्रेजरी, एन0आई0सी0 एवं भारतीय रिजर्ब बैंक के मध्य समन्वय का कार्य करेगा।
- सम्बन्धित बैंकर्स के Focal Point/Nodal Branch प्रत्येक दिन के 8.pm से लेकर अगले कार्यदिवस के 8.pm तक ई–चालान से जमा धनराशि के विवरण को भारतीय रिजर्ब बैंक की सम्बन्धित सुरक्षित वेबसाइट में T+1 समय के आधार पर दूसरे कार्यदिवस के 11.am पर अपलोड करेगा। उक्त रीति से शुक्रवार एवं शनिवार कार्यदिवस में हुए ट्रान्जेक्शन को दूसरे कार्यदिवस अर्थात रविवार के स्थान पर सोमवार को 11.am पर भारतीय रिजर्ब बैंक की सम्बन्धित सुरक्षित वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसी प्रकार अगले कार्यदिवस में बैंक एवं साईबर ट्रेजरी में राजकीय अवकाश पड़ने पर राजकीय अवकाश के ठीक अगले कार्यदिवस के 11.am पर भारतीय रिजर्ब बैंक की सम्बन्धित सुरक्षित वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- Focal Point/Nodal Branch द्वारा सम्बन्धित दिवस के ट्रान्जेक्शन का सफलतापूर्वक भारतीय रिजर्ब बैंक की सम्बन्धित सुरक्षित वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाने के उपरान्त कुल ट्रान्जेक्शनों की

संख्या एवं कुल धनराशि का विवरण padkanpur@rbi.org.in के पते पर ई–मेल द्वारा उसी दिन भेजेगा और यदि कोई ट्रान्जेक्शन नहीं हुआ है, तो भी इसकी सूचना उक्त पते पर ई–मेल से भेजेगा।

- जमाकर्ता के खाते से ई–चालान से राज्य सरकार के पक्ष में धनराशि जमा करने पर यदि जमाकर्ता के खाते से धनराशि डेबिट हो जाती है परन्तु सम्बन्धित ट्रान्जेक्शन किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाया है, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित Focal Point/Nodal Branch इसके समाधान के लिये उत्तरदायी होगा।

2. भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों से प्राप्त स्काल को डाउनलोड करेगा एवं एकीकृत स्काल को निर्धारित प्रारूप पर तैयार करेगा।
2.2 ई–चालान के माध्यम से प्रतिदिन जमा धनराशियो का स्कॉल हार्ड एवं साफ्ट कापी में अगले कार्य दिवस को साईबर ट्रेजरी देहरादून को उपलब्ध करायेगा।
2.3 ई–चालान के माध्यम से जमा धनराशियों को राज्य सरकार के खाते में T+1 समय अवधि में स्थानान्तरित करेगा।

3. साईबर ट्रेजरी, देहरादून

3.1 कोषागार पोर्टल से ई–चालान के माध्यम से जमा धनराशि का लेखांकन साईबर ट्रेजरी देहरादून द्वारा किया जायेगा। साईबर ट्रेजरी द्वारा ई–चालान की फाईल को भारतीय रिजर्व बैंक की साईट से डाउनलोड किया जायेगा, जैसे ही फाईल डाउनलोड होगी auto-reconciliation प्रक्रिया स्वतः प्रारम्भ हो जायेगी।
3.2 ई–चालान के माध्यम से जमा धनराशि का मिलान भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त प्रतिदिन के स्कॉल में दर्शायी गयी धनराशि एवं कोषागार पोर्टल में ई–चालान की रिपोर्ट में दर्शायी गयी धनराशि से किया जायेगा।
3.3 ई–चालानों में दर्शायी गयी धनराशि तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त स्कॉल में दर्शायी गयी धनराशि में कोई अन्तर होने पर इसे डेटाबेस में रेक्टिफाई करके आर0बी0आई0 को अपने स्कॉल में इसे सही किये जाने हेतु इसकी सूचना ई–मेल द्वारा भेजेगा।
3.4 साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड महालेखाकार को आर0बी0डी0 की सूचना उपलब्ध करायेगी।

4. एन0आई0सी0उत्तराखण्ड,देहरादून

4.1 एन0आई0सी0 द्वारा कोषागार पोर्टल www.ekosh.uk.gov.in का रख–रखाव इस प्रकार से किया जाएगा जिससे कि जमाकर्ताओं, साईबर ट्रेजरी एवं भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या न हो।
4.2 ऐसे विभाग जिनकी पृथक वेबसाइट है एवं जो अपनी साईट पर अपने विभाग से सम्बन्धित संग्रहित धनराशि के विवरण की रिपोर्ट चाहते हैं, का site-to-site इन्टीग्रेशन कोषागार पोर्टल से करायेगा।
4.3 भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त स्कॉल को कोषागार पोर्टल पर अपलोड कराने एवं अन्य विभागों के पोर्टल पर डाटा अपलोड कराने की व्यवस्था करेगा।

4.4 शासन,निदेशालय कोषागार, साईबर ट्रेजरी, बैंकर्स एवं सम्बन्धित विभागों हेतु ई–चालान से सम्बन्धित MIS विकसित करेगा।

4.5 एन0आई0सी0 बैंक एवं निदेशालय कोषागार के मध्य हस्ताक्षर किये जाने वाले site-to-site इन्टीग्रेशन के अभिलेखों हेतु तकनीकी पैरामिटर्स को उपलब्ध करायेगा तथा वेट करेगा।

5. कोषागार एवं उपकोषागार

5.1 ई–चालान द्वारा जमा की गयी धनराशियों का विवरण कोई भी कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी आन लाइन देख सकता है एवं रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।

5.2 यदि जमाकर्ता को ई–चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि के फलस्वरूप कोई सेवा,सुविधा या स्टाम्प उपलब्ध कराया गया है, तो सम्बन्धित ई–चालान में अंकित कोषागार/उपकोषागार कार्यालय उस ई–चालान का आन लाइन खारिज करेगा ताकि उसका दोहरा लाभ न लिया जा सके।

6. सम्बन्धित विभाग/विभागाध्यक्ष

6.1 ई–चालान के माध्यम से जमा धनराशियों का विवरण सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विभागाध्यक्ष कोषागार पोर्टल में प्रदत्त अपने –अपने login ID एवं पासवर्ड से प्राप्त कर सकेंगे। कोषागार पोर्टल से प्राप्त इस प्रकार की सूचना/विवरण को समान्यतः कोषागार द्वारा स्वतः ही सत्यापित माना जायेगा। परन्तु विवरण में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर सम्बन्धित विभाग साइबर ट्रेजरी से इसका मिलान कराके सत्यापन करायेगा।

6.2 ऐसे विभाग जिन्होनें अपनी–अपनी वेबसाइट का बैंक के साथ सीधे इन्टीग्रेशन किया है, वे कोषागार पोर्टल www.ekosh.uk.gov.in से अपनी–अपनी वेबसाइट को इन्टीग्रेशन करायेंगे। ई–चालान से भुगतान की प्रकिया के लागू होने की तिथि से भविष्य में कोई भी विभाग पेंमेंट गेटवे हेतु बैंकों के साथ सीधे इन्टीग्रेशन नहीं करेगा।

7. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड,देहरादून

7.1 निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाऐं,उत्तराखण्ड,देहरादून विभिन्न बैंकर्स के साथ पेमेंट गेटवे इन्टीग्रेशन हेतु अधिकृत होंगे एवं बैंकर्स के साथ तकनीकी इन्टीग्रेशन से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

7.2 उक्त प्रकिया में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकर्स, शासन एवं एन0आई0सी0 के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड,देहरादून द्वारा किसी एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

अनुरोध है कि ई–प्राप्तियों की उक्त प्रस्तावित प्रकिया को राज्य में लागू किये जाने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही दिनाक 31–3–2013 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर लें। मैनुअल चालान से जमा की गयी प्राप्तियों से सम्बन्धित विद्यमान नियमों में उक्त प्रकिया के लागू किये जाने के फलस्वरूप यथा संशोधन बाद में कर लिया जायेगा।

उक्तानुसार ई–चालान की प्रकिया राज्य में दिनाक **01 अप्रैल, 2013 से लागू होगी।**

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या 4 /XXVII(6)/2012 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. मुख्य महा प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर।
6. महा प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानुपर।
7. प्रमुख सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
9. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तरखण्ड।
12. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकरी उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्यकोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/भुगतान एव लेखा कार्यल्य/उप कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
14. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुंवर सिह)
अपर सचिव, वित्त।